न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1 / 291 / 2022 दायर दिनांकः— 13 / 09 / 2022

जीसीएमएस नं0:—2022 / 582 निर्णय दिनांकः— 16 / 5 / 2024

वउनवान

1. कजोडी पुत्र कैला जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहाडी
2. मुक्खा पुत्र कैला जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहाडी
3. मदन पुत्र कैला जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहाडी

तहसील कठूमर जिला अलवर।

वादीगण

बनाम

1. शिवप्रसाद पुत्र लल्लू जाति कुम्हार (प्रजापति)
2. रामप्रसाद पुत्र लल्लू जाति कुम्हार (प्रजापति)

निवासीयान ग्राम गाजीपुर तहसील महवा जिला दौसा

प्रतिवादीगण

3. बत्तन पत्नी मदन जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहाडी
4. मुक्ति पत्नी कजोडी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहाडी
5. श्यामवती पत्नी मुक्खा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहाडी तहसील कठूमर जिला अलवर।

तर0प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा— 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram
Date: 2024.06.05 17:33:10 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः श्री राधाबल्लभ शर्मा— अधिवक्ता वादीगण

–:निर्णय:–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 991 रकबा 0.23 हेक्ट जिसका साबिक खसरा नम्बर 591 मिन रकबा 18 विस्वा खसरा नम्बर 992 रकबा 0.23 हेक्ट जिसका साबिक खसरा नम्बर 591 मिन रकबा 18 विस्वा खसरा नम्बर 995 रकबा 0.20 हेक्ट जिसका साबिक खसरा नम्बर 591 मिन रकबा 16 विस्बा ग्राम सहाडी तहसील कठूमर में स्थित है। विवादित आराजी वादीगण के पिता कैला तथा उसके भाई रामू, गोविन्दा के 1/2 हिस्सा तथा रामसहाय पुत्र लाला की गैर मोरूसी तथा काश्त (उपकृषक) कैला, रामू, गोविन्द की संवत् 2012 की जमाबन्दी अर्थात रेकार्ड ऑफ राइट में 79 साल दर्ज है तथा जमाबन्दी संवत् 2016 ला0 2018 जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 में भी वादीगण के पिता कैला तथा उसके भाई रामू गोविन्दा के नाम व काश्त (उप कृषक) बाबत इन्द्राजात दर्ज है। कानून के आदेशात्मक प्रावधानों के तहत दिनांक 31.12.1969 तक यदि किसी कृषक के नाम राइट ऑफ रेकार्ड (जमाबन्दी) में बकाश्त (उप कृषक) के इन्द्राजात दर्ज है तो उन्हें खातेदारी अधिकार बाई आपरेशन ऑफ लॉ स्वतः प्राप्त होते है। इन्हीं कानून प्रावधानों के तहत वादीगण तथा उसके भाई रामू, गोविन्दा को विवादित आराजी बाबत कानून के आदेशात्मक प्रावधानों के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त है। सैटलमेंण्ट कर्मचारियों को विवादित आराजी बाबत वादीगण के नाम बाई आपरेशन ऑफ लॉ प्राप्त खातेदारी के इन्द्राजात ही दर्ज करने चाहिए थे। सैटलमेंण्ट कर्मचारियान को विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा रामसहाय पुत्र लाला के नाम खातेदारी में दर्ज करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। रामू, गोविन्दा ने अपने हिस्सा तरतीवी प्रतिवादी को बेचान कर दिया और बाद बेचान वो निःसंतान विला औलाद फौत हो गए। विवादित आराजी का 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण के मृतक पिता लल्लू पुत्र [illegible] के खिलाफ कानून मौका विधि विरूद्व तरीके से खातेदारी में दर्ज है। वादीगण ने उक्त गलत इन्द्राजात को दुरूस्त करवाने बाबत प्रतिवादीगण से कहा तो उन्होंने इन्कार कर दिया। गलत रेकार्ड के वजूद में रहने से वादीगण के हकूकों पर विपरीत असर पडता है

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:10 IST
Reason: SelfAttested

इसलिए वादीगण विवादित आराजी के 1/4 हिस्सा बाबत खातेदारी अधिकार घोषित करवाने के अधिकारी है। उपरोक्त विवादित आराजी के 1/2 हिस्सा पर वादीगण मौके पर बहैसियत खातेदार काश्तकार कब्जे काश्त में है। प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी के 1/4 हिस्सा बाबत वादीगण के खातेदारी अधिकारों को चुनौती देते हुये खुले आम धमकी दी है कि हम तुम्हें इस विवादित आराजी के 1/4 हिस्सा पर संयुक्त रूप से काश्त नहीं करने देगें तुम्हें जबरन बेदखल कर खुद कब्जा करेगें जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इस वजह से वादीगण प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने के अधिकारी है। अतः वादीगण ने मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये। प्रतिवादी सं0 1–2 बावजूद तामील उपस्थित नही आये उनके विरूद्व दिनांक 16.01.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। तरतीवी प्रतिवादीगण से वादीगण कोई रिलीफ नहीं चाहते। तलबी बन्द की गई। वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में खसरा मिलान क्षेत्रफल संवत् 2028 प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2012 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी संवत् 2016 से 2019 प्रदर्श–3, नकल जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 प्रदर्श–4, नकल जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 प्रदर्श–6 वाके ग्राम सहाडी पेश किये है, जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण ने लिखित बहस पेश की है जो संलग्न पत्रावली है। वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी। वकील वादीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रदर्श–1 मिलान क्षेत्रफल के अवलोकन से यह सही है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 991, 99[illegible] [illegible]95 जो साबिक खसरा नम्बर 591 वाके ग्राम सहाडी से बनाये गये है। [illegible] संवत् 2012 प्रदर्श–2 के खाता संख्या 184 में खसरा नम्बर 591 वादीगण के पिता कैला, रामू, गोविन्दा बहिस्सा बराबर 1/2 हिस्सा तथा रामसहाय पुत्र विस्सू बकाश्त कैला, रामू, गोविन्दा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:10 IST
Reason: SelfAttested

साल 79 दर्ज है। इसी अनुसार प्रदर्श–3 जमाबन्दी संवत् 2016 से 2020 के खाता संख्या 38 में इन्द्राज दर्ज है। इसी अनुसार प्रदर्श–4 जमाबन्दी संवत् 2017 से 2021 के खाता संख्या 32 में इन्द्राज दर्ज है। कानूनी प्रावधानों के तहत यदि कोई खातेदार दूसरे खातेदार की भूमि पर दिनांक 31.12.2069 तक उप कृषक बकाश्त दर्ज है तो वो उस भूमि का खातेदार धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के तहत खातेदार कश्तकार हो जाता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड से विवादित आराजी पर वादीगण का लगातार कब्जा प्रमाणित है। लेकिन विवादित आराजी का 1/4 हिस्सा सैटलमेंण्ट ने संवत् 2028 में मृतक लल्लू पुत्र गिरवर के नाम गलत दर्ज की गई है। पत्रावली के अवलोकन से लल्लू फौत होना पाया गया है। उसके वारिस प्रतिवादीगण है। रामू, गोविन्दा ने अपना हिस्सा तरतीवी प्रतिवादीगण को बेचान कर दिया है। बेचान के वाद वो निःसंतान विला औरत फौत हुआ है, जो तथ्य पत्रावली पर आये साक्ष्य व राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है। प्रतिवादीगण बावजूद तामील हाजिर अदालत नहीं आये और अपनी ओर से कोई उज्र व ऐतराज पेश नहीं किये। गवाह पी डब्ल्यू 1 मदन ने बतौर गवाह अपना शपथ पत्र पेश किया है, जिसमें गवाह मदन ने उक्त आराजी के 1/4 हिस्सा पर शिव प्रसाद, रामप्रसाद के पिता लल्लू के नाम गलत दर्ज होना एवं उक्त आराजी पर इनका कोई कब्जा न होना कथन किया है तथा इस 1/4 हिस्सा की आराजी को अपने नाम करवाने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने का कथन किया। गवाह पी डब्ल्यू 2 बाबूलाल, गवाह पी डब्ल्यू 3 राजेश भी जब से सुरत संभाली है तब से उक्त आराजी पर वादीगण का कब्जा बताते है। लल्लू व उसके पुत्र शिवप्रसाद व रामप्रसाद का कभी कब्जा नहीं देखना कथन किया। वर्तमान में उक्त आराजी पर कजोड़ी, मुक्खा, मदन, बत्तन, मुक्ति व श्यामबती का कब्जा होना कथन किया है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से संवत 2012 की खतौनी बंदोबस्त (जमाबन्दी) में खसरा नम्बर 591 कैला, रामू गोविन्दा पिसरान बिहारी हिस्से बहिस्से बराबर निस्फ रामसाय पुत्र लाला कुम्हार साकिनदेह गैर मौरूसी बकास्त कैला रामू गोविन्दा हिस्से बहिस्से बराबर मजकूर 79 साल दर्ज है। जमाबन्दी संवत 2016 में खसरा नम्बर 591

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:10 IST
Reason: SelfAttested

कैला रामू गोविन्दा पिसरान विहारी हिस्से बहिस्से बराबर 1/3 गिरवर पुत्र लाला 1/3 झंडू सुवा पिसरान रामसाय बहिस्से बराबर 1/3 कुम्हार दर्ज है। संवत 2017–2020 की जमाबंदी में खसरा नम्बर 991 में केलाराम गोविन्दा पि. विहारी हि0 बराबर 1/2 रामसहाय वल्द लाला हि0 1/2 कौम कुम्हार सा0 देह खातेदार दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो जमाबंदी संवत 2012, 2016 तथा 2017–2020 तीनों जमाबंदियो में प्रतिवादीगण के पूर्वज रामसाय पुत्र लाला के नाम भूमि खातेदारी में दर्ज है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत रेकार्ड व दस्तावेजों से कहीं यह सिद्व नहीं होता है कि सेटलमेन्ट विभाग द्वारा प्रतिवादीगण के नाम गलत इन्द्राज दर्ज कर दिये गये है। वादीगण वादग्रस्त आराजी पर काबिज है, इस संबंध में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर आर डी 2003 पेज 367–376 जागीरदारी भूमि से संबंधित है,जो इस वाद में चस्पा नहीं होते है। अतः वाद वादीगण पत्रावली पर दस्तावेजी साक्ष्य व कानूनी नजीर से प्रमाणित नही होता है।अतः वाद वादीगण डिक्री योग्य नही पाया जाता है।

–:आदेशः–

अतः दावा वादीगण इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी आराजी खसरा नम्बर 991 रकबा 0.23 हेक्ट, 992 रकबा 0.23 हेक्ट, 995 रकबा 0.20 हेक्ट. वाके ग्राम सहाडी तहसील कठूमर डिक्री योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.5.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:10 IST
Reason: SelfAttested

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री सुखाराम पिण्डेल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1/291/2022 दायर दिनांकः— 13/09/2022

जीसीएमएस नं0:—2022/582 निर्णय दिनांकः— 16/5/2024

वउनवान

1. कजोडी पुत्र कैला जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहाडी
2. मुक्खा पुत्र कैला जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहाडी
3. मदन पुत्र कैला जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहाडी

तहसील कठूमर जिला अलवर।

डिक्रीदारान्

बनाम

1. शिवप्रसाद पुत्र लल्लू जाति कुम्हार (प्रजापति)
2. रामप्रसाद पुत्र लल्लू जाति कुम्हार (प्रजापति)

निवासीयान ग्राम गाजीपुर तहसील महवा जिला दौसा

डिक्रीदारान्

3. बत्तन पत्नी मदन जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहाडी
4. मुक्ति पत्नी कजोडी जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहाडी
5. श्यामवती पत्नी मुक्खा जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी सहाडी तहसील कठूमर जिला अलवर।

मदयूनान्

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा— 88,89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः दावा वादीगण इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी आराजी खसरा नम्बर 991 रकबा 0.23 हेक्ट, 992 रकबा 0.23 हेक्ट, 995 रकबा 0.20 हेक्ट. वाके ग्राम सहाडी तहसील कठूमर डिक्री योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

आज दिनांक 16.05.2024 को यह मेरी डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.06.05 17:33:10 IST
Reason: SelfAttested

16/5/24

सुखाराम पिण्डेल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)